

संस्थान और परिवार कल्याण विभाग

अतारंककत प्रश्न ॡ 4337
13 फरवरी, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न

ख

4337.

श्री श्रीनिवास दादासाहब पाटोल:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्री

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके) का वतमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या ह;

(ख) क्या सरकार जनसंख्या स्थिरता कोष के अंतगत क्रियाकलापों का निगरानी कर रहा है और राष्ट्रीय खर्च, 2000 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या सफलता प्राप्त हुई है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिवार नियोजन के संबंध में परियोजनाओं, पहलों और नवोन्मेषी विचारों में सहायता करने के लिए आर्बिटल निर्धियां के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में जनसंख्या के स्थिरता हेतु काय कर रहे संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न ह;

(ङ) सरकार द्वारा देश में जनसंख्या को स्थिरता के लिए और क्या कदम उठाए गए ह/उठाये जा ?

त

संस्थान और परिवार कल्याण मंत्रालय (श्री)

() संस्थान और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वातंत्र्य - खर्च

() 2000 में लिखित उद्देश्यों के लिए

(1) 2045 तक स्थिरकरण हेतु कार्य करना

- (2) गभ निरोध हेतु अपूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहला को बढ़ावा देना ।
- (3) ष्ट्री ख ि 2000 क्ष ि को पूरा करने के लिए सरकार,ि स यंसेवी क्षेत्र म नवप्रवर्तित विचारां का समथन करना।
- (4) ख स्थिरोकरण हेतु एक जन आंदोलन के विकास को कारगर
- (5) ख स्थिरोकरण के कारणां को आगे बढ़ाने मं देश म ट क्तिर्या, ट ि तथा अन्यां ि ढ

त्रि ि 7.2.2018 ि ः ि 8.2.2019 ि

(ख) एवं (ग): जेएसके द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई :

1. प्रेरणा योजना (विवाह म विलंब तथा बच्चां न)
2. ष्ट्री (ः करण सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने हेतु)
3. ष्ट्री ल लाइन (परिवार नियोजन पर सूचना के प्र -प्र)

क योजनाओं के अंतगत उपलब्धियां का विवरण अनुलग्न -I

जेएसके के अंतगत परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न ि ि आर्बिट्रत निर्धियां के ि म -II

(): स स्थ ज ि होने के कारण यह विवरण मंत्रालय म उपलब्ध ि

(ड): देश को जनसंख्या को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमां का विवरण म -III

ग -।
प्रे , संतुष्टि और हेल्प

	ब	प्रे	र
2018-19 (फि 2018)	६ - 10860	500 दंपत्तियां को रु फि	-100489
2017-18	६ -70044	788 दंपत्तियां को रु फि	-241003
2016-17	६ - 67545	373 दंपत्तियां को रु फि	-71869

वि वि ख से ट

क्र.	वित्त	(रु)	ट य (लाख रुपये म)
1.	2016-17	2598.25	1077.97
2.	2017-18	3242.88	974.98
3.	2018-19	1484.60	298.73

देश म जनसंख्या से द

1. **फिफिफि** : , सात उच्च संकेन्द्रण राज्यां म 3 एवं अधिक को कुल प्रजनन दर (टोएफआर) वाले 146 उच्च प्रजनन जिलां म गर्भ निरोधकां फिफि को पहुंच म लाने म पर्याप्त वृद्धि करने हेतु 10 , 2016 मिशन परिवार विकास प्रारंभ किया है। ये जिले उत्तर प्रदेश (57), फि (37) रु (14), मध्य प्रदेश (25), त (2), (9) सम (2) राज्यां से हैं जिनम देश को 44 प्रतिशत रु
2. **ध रु कारकता क्षतिपूर्ति योजना - रु स्थय एवं परिवार कल्या मंत्रालय लाभार्थियां को मजदूरो को क्षति को और सेवा प्रदाताओं (एवं टोम)को बंधयी क्षतिपूर्ति करता है। यह पैकेज नवंबर, 2014 11 च द्र चो जॉ (8 , , हरियाणा) म बढ़ाया गया और परिवार मि फि , 2016**
3. **फिशन नैदानिक आउटरोच टोम (सीओटो) योजना-** , प्रत्यायित संगठनां को मोबाइल टोमां के माध्यम से दूरवर्ती, अल्पसेवित तथा भूगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों म परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए दिसंबर, 2016 से 146 मिशन परिवार विकास जिलां म चलाई गई
4. **पसंद के नए गभ निरोधक:** पसंद के वतमान गभ निरो फि 2015-16 म नए गभ निरोधक नामतः इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक तता सटक्रोमेन शामिल किए गए ह।
5. **गर्भनिरोधकां को नई पैकेजिंग:** 2015 , फि । अब और सुधार किया गया है और इन्ह नए रूप म तैयार किया गया है ताकि गि फि ।
6. **लाभार्थियां के घरां म आशाकमर्यां द्वारा गर्भनिरोधकां को होम डिलीवरो रु , 2011 प्र ।**
7. **प्रसूति के तत्काल बाद आईयूसीडी इनससन को एक नयी पद्धति अथात प्रस्वोट () 2010 म प्रारंभ को गई है। पीपीआईयूसीडी प्रोत्सा 1.1.2014 प्र**
8. **न फि फि 16 , 2012 प्र । 18 जॉ (8 , 8 ति , गुजरात और हरियाणा) म कार्यान्वित को जा रहा फि क शे , ध प्र , , ष्ट्र, , दौव एवं दादरा नगर हवेलो म जन्म म अंतर रखने के साधनां का अनुमोदन किया गया है।**
9. **समाज के उपयोग हेतु आशाकमर्यां के औषधि किट म गभ जांच किट के प्रावधान को योजना। 2013 प्र ।**
10. **राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (एनएफपीआईएस) इसके अंतगत बंधयीकरण के श त , जटिलताओं तथा असफलताओं जैसी संभावनाओं म ग्राहकां का बीमा किया जाता**

2005

६

न/

2013 म इसम संशोधन किया गया और अब एनएचएम वित्ती
सरकारा द्वारा सीधे हा प्रचालित का जा रहा है।

ज

11. सभी राज्या और जिला म गुणवत्ता आश्वासन सर्मातियाँ स्थापित करके परिवार नियोजन सेवाओं म परिचया का गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
12. परिवार नियोजन संभार तंत्र प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (एफपी-):- रु
स्वास्थ्य केन्द्रों म परिवार नियोजन सामग्रियाँ के अबाध पूवानुमान, खरोद एवं वितरण सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित सॉफ्टवेयर 2017 म प्रारंभ किया गया।
13. वर्ष 2013 से रोगियाँ का अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले केन्द्रों म एक काय समर्पित + के
14. एक सम्पूर्ण मीडिया अभियान ६ न 2015
2016 प्र फ